

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 322 / 2024


दिनांक :25.01.2024

श्रीमती मोनिका चौधरी (RJ01216), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (कोटा) को दिनांक 29.01.2024 से 26.07.2024 तक 180 दिवस का मातृत्व अवकाश (प्रथम संतान) दिनांक 26.01.2024 से 28.01.2024 एवं 27.07.2024 से 28.07.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री प्रवीण शंकर (RJ01186), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, इटावा (कोटा) को श्रीमती मोनिका चौधरी के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (कोटा) के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री प्रवीण शंकर (RJ01186), जिनको अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,

  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/03/2019/855

दिनांक.25.01.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 677 दिनांक 17.01.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती मोनिका चौधरी (RJ01216), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (कोटा)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा (कोटा)।
5. श्री प्रवीण शंकर (RJ01186), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, इटावा (कोटा)।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, इटावा (कोटा)।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।

  
सहायक रजिस्ट्रार